न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 03/2023 प्रा.प.

उनवान्

श्री नाथुलाल पिता धुलजी बलाई उम्र बालिग निवासी गुरूओं का चिबोडा हाल निवासी सेक्टर—14 उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

—

प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री मांगीलाल पिता गोतमलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी गुरूओ का चिबोडा हाल निवासी सेक्टर 09 मकान नं. 142, सविना उदयपुर जिला उदयपुर।
2. श्रीमती मंजु पत्नी राजु पुत्री गोतमलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी हाल चांदा गिर्वा जिला उदयपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः— 13/08/24

उपस्थितिः— श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता — प्रार्थी
श्री विजेश भलवाडा अधिवक्ता—विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खानदान का राजरा प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2 मे दर्शित अनुसार है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के परिवार की संयुक्त खातेदारी कृषि आराजीयात मौजा गुरूओं का चिबोडा पटवार हल्का माकडसीमा तहसील सलुम्बर के खाता सं. नया 31 पुराना 31 कुल किता 18 रकबा 1.96 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा स्व. रामलाल की पत्नि पुंजीबाई का जिनका स्वर्गवास हो चुका है 1/3 हिस्सां है। रामलाल की पत्नी पुंजीबाई का 1/3 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में है परन्तु पुंजी बाई का स्वर्गवास हो जाने से उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में पुंजीबाई के हिस्से में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है, जिस कारण धुलजी के दो अन्य पुत्र गोतमलाल के वारिसानों एवं नाथुलाल का बराबर बराबर 1/2—1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजीयात में बनता है। परन्तु विपक्षी सं. 1 गोतमलाल स्व. पुंजीबाई के 1/3 हिस्से को पुरा—पुरा हडप करने पर आमादा है और प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि विपक्षी सं. 1 गोतमलाल पुंजीबाई के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुंजीबाई के हिस्से की भूमि को अकेले हडपने के लिये पटवारी से सांठगांठ कर रहा है जबकि पुंजीबाई ने अपने जीवनकाल में कोई दस्तावेज मांगीलाल के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। मांगीलाल फर्जी एवं जाली कागजात तैयार कर पुंजी बाई का हिस्सा हडपने के लिये आमादा है। जिस कारण प्रार्थी विपक्षीगणों के विरूद्ध यह घोषणा खातेदारी, पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहा है। स्व. पुंजीबाई के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हिस्से को विभाजित करते हुए वादग्रस्त भूमि, में प्रार्थी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाये जाने हेतु एवं इनका मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पांती बंटवाडा कराये जाने हेतु एवं अपने हिस्से पर अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण आदि रोकने यंह वाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः निवेदन है कि मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित भूमि में स्व. पुंजीबाई के 1/3 हिस्से में विपक्षीगण किसी प्रकार का कोई हेर फेर न करावे, एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बरकरार रखी जावे एवं वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार से दखलन्दाजी, नुकासान, अतिक्रमण आदि नहीं करे इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेश भलवाडा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अधुरा सजरा पेश किया है बल्कि असल सजरा जवांब की कलम संख्या 2 अनुसार है। श्रीमती पुंजीबाई का एकमात्र वारिश साज सम्भाल करने वाला पुत्र के समान हमेशा विपक्षी सं. 1 मांगीलाल रहा है। जिसे पुंजीबाई ने अपनी इच्छा से उक्त सम्पत्ति मे अपना पुरा 1/3 हिस्सा जो वसीयत किया है जिससे विपक्षी संख्या 1 मांगीलाल स्वयं का खाते के अनुसार हिस्सा 1/6+ वसीयत से प्राप्त हिस्सा 1/3=2/9 जुमला हिस्से का एक मात्र मालिक विपक्षी सं. 1 बन गया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति श्रीमती पुंजीबाई की एक मात्र चल/अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारीस श्री मांगीलाल है। श्रीमती पुंजी बाई ने अपने पति की मृत्यु दिनांक 20–07–2022 को होने के बाद खुशी से गवाहान श्री भीमराज पिता भैरा सालवी निवासी उदयपुर तथा गवाह रता पिता नवला मीणा निवासी गुरूओ का चिबोडा, करावली के समक्ष स्टाम्प संख्या 23235 किमत 500/–रू. पर अपनी अंतिम वसीयत महेन्द्र कुमार औदीच्य नोटेरी एडवोकेट उदयपुर के समक्ष पेश कर उदयपुर मे निष्पादित कि जिसमे अपनी चल अचल सम्पत्ति, मकान एवं कृषि भूमि जो गुरूओ का चिबोडा मे स्थित है कि भी वसीयत कि है जो कानुन के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला को अपनी खुशी से पुर्ण वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को पता है कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे उक्त वसीयत कि गई है ताकी विपक्षी अपना सबुत बताऐ। उसके बावजुद प्रार्थी जमीन हडपने कि नियत से उक्त वाद पेश किया है। प्रार्थी जब तक धुलजी कि तीनो पुत्रीयो श्रीमती गेबी, पुंजी व गंगा को पक्षकार नही बनाता है तब तक प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त है। क्योंकि तीनो कानुनन क्लास 1 के वारिश है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से घोषणा कराने का अधिकारी नही है। नही पांती बंटवाडा कराने का अधिकारी है अगर कानुनन बंटवाडा किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के लिये छोडकर बाकि सभी धुलजी की पुत्रीयो जो नियमानुसार पक्षकार बना कर उनके हिस्से बनते है उसके अनुसार पांति बंटवाडा कराने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। एवं धुलजी कि पुत्रीयो को वारीश बनाया जावे तो उसके बाद विपक्षी संख्या 1 का विरासत से 1/12 हिस्सा एवं पुंजीबाई द्वारा वसीयत से किया 1/3 हिस्सा आया जिससे कुल 5/12 हिस्से को विपक्षी संख्या 1 के खाते दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। बाकि अन्य हिस्सेदारो के हिस्से न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया जाकर उक्त अनुसार पांति बंटवाडा किया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि जब तक दावे का निस्तारण न हो तब तक विपक्षीगण को राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु पांबद फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हमारे पक्ष मे वसीयत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 31 कुल किता 15 रकबा 1.6500 हैक्टेयर भूमि स्व. पुंजीबाई पत्नी स्व. रामलाल का हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित है। विपक्षी सं. 1 ने वसीयत से पुंजीबाई का 1/3 हिस्सा अपने हिस्से होना जाहिर किया है। चूंकि मूल वाद घोषणा एवं बंटवाडे का है जिसमे पक्षकारो के हिस्से प्रकरण मे साक्ष्य तथा सबूतो के आधार पर पक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर तय किया जाना है। तब तक वादग्रस्त भूमि मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय उचित समक्षता है ताकी अनावश्यक वाद कारण उत्पन्न न हो।

–::आदेश::–

अतः मौजा गुरूओ का चिबोडा पटवार हल्का माबडसीमा भू.अ.नि. करावली खाता संख्या 31 कुल किता 15 कुल रकबा 1.6500 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि मे उभयपक्ष मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय दिनांक 13/08/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर
जिला–सलूम्बर